

न्यायालय :- श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्र.क. क.-500/2012

संस्थित दिनांक-27.06.2012

फाईलिंग नं.-234503000262012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

कमलसिंह पिता बुद्धसिंह, उम्र- साल, जाति गोंड,,

निवासी-ग्राम सरईटोला थाना बैहर जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी।

// निर्णय //

(आज दिनांक-19/08/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के तहत आरोप है कि दिनांक 13.05.2012 को शाम के 07:00 बजे स्थान दामीटोला(तिरगांव) थाना बैहर में आप आरोपी ने फरियादी थानसिंह को उपहति कारित करने के आशय से बांस की कमची से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। उक्त कृत्य धारा-324 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी/आहत थानसिंह ने थाना बैहर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 13.05.2012 को शाम के 7:00 बजे वह गांव से काम करके अपने घर जा रहा था रास्ते में उसके मामा कृपालसिंह का मकान है। कृपालसिंह कमलसिंह से काम करने के 700/- रुपये मांग रहा था तब कमलसिंह ने पैसे देने से इंकार किया और इसी बात से दोनों का वाद-विवाद हो रहा था। उसने कहा कि वाद-विवाद क्यों करते हो तो कमलसिंह ने कहा कि वह बीच में बोलने वाला कौन होता है कहकर माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दी और बांस की कमची से उसके सीने पर मार दिया जिससे उसे चोट आई थी। फरियादी/आहत की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपी कमलसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक-71/2012, धारा-294 एवं 324 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत थानसिंह का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध

किये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की। पुलिस द्वारा आरोपी कमलसिंह को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 एवं 324 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत थानसिंह ने आरोपी से राजीनामा किया। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के अपराध से उन्मोचित किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 13.05.2012 को शाम के 07:00 बजे स्थान दामीटोला(तिरगांव) थाना बैहर में फरियादी थानसिंह को उपहति कारित करने के आशय से बांस की कमची से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादी थानसिंह अ.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी उसका ममेरा भाई है। घटना उसके कथन से चार वर्ष पूर्व की है। आरोपी कमलसिंह का उसके मामा कृपालसिंह के साथ मौखिक वाद-विवाद हुआ था जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बैहर में की गई थी। आरोपी से उनका राजीनामा हो जाने के कारण वह कार्यवाही नहीं चाहता है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.05.2012 की है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने मौका नक्शा प्र.पी.01 तैयार किया था जिसपर उसने अ से अ भाग पर अंगुठा निशान लगाया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके बतायेनुसार पुलिस ने घटना का मौका नक्शा तैयार किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे अंगुठा लगाने कहा था तो उसने अंगुठा लगा दिया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे बांस की कमची से सीने पर मारा था जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया था।

साक्षी ने कहा है कि उसका विवाद ही नहीं हुआ था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने पुलिस कथन प्र.पी.02 पुलिस को दिया था।

6— प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना के संबंध में फरियादी/आहत थानसिंह अ.सा.01 का न्यायालयीन परीक्षण कराया गया। फरियादी/आहत थानसिंह ने स्वयं यह कहा है कि घटना दिनांक को उसका एवं उसके मामा का आरोपी कमलसिंह से मौखिक वाद-विवाद हुआ था। आरोपी ने उसे बांस की कमची से नहीं मारा था। उपरोक्त स्थिति में आरोपी कमलसिंह द्वारा आहत थानसिंह को धारदार हथियार से स्वेच्छया मारकर उपहति कारित करना प्रमाणित नहीं पाया जाता है और आरोपी कमलसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाने से संदेह का लाभ दिया जाता है।

7— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी कमलसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी/आहत थानसिंह को बांस की कमची से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी कमलसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

8— आरोपी अभिरक्षा में है, उसे तत्काल स्वतंत्र किया जावे।

9— प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की कमची मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
व दिनांकि कर घोषित किया गया।

बैहर

दिनांक 19.08.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट